4 जन आधार पंजीयन एवं कार्ड वितरण प्रक्रिया

4.1 नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए

जन आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी परिवार का वयस्क सदस्य जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई–मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करवाया जाता है। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों आदि के आधार पर सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है तथा उसके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचित कर दिया जाता है।

4.2 जन आधार नामांकन की प्रक्रिया

जन आधार नामांकन के लिए आवेदनकर्ता वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध Jan Aadhaar Enrollment के माध्यम से नामांकन किया जा सकता है अथवा परिवार का कोई भी सदस्य नजदीकी ई–मित्र केन्द्र पर जाकर वांछित पात्रता से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उसके उपरान्त सिस्टम द्वारा आवेदक को रजिस्ट्रेशन संख्या दी जाती हैं, रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्ज करने से नामांकन हेतु पृष्ठ प्रदर्शित हो जाता हैं। पृष्ठ में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सूचना अंकित की जाती है, इसके उपरान्त सदस्यों का भी तदानुसार पंजीयन किया जाता है। जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् सफल सत्यापन उपरान्त जन आधार परिवार पहचान संख्या जारी कर जन आधार कार्ड प्रदान किया जाता है।

राजस्थान जन आधार योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :–

अनिवार्य दस्तावेज

1. परिवार के मुखिया एवं परिवार के कम से कम एक सदस्य की आधार कार्ड की प्रति
2. परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति (आवश्यकता होने पर परिवार के अन्य सदस्य के बैंक पासबुक की प्रति)
3. परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य दस्तावेज

परिवार के मुखिया के साथ संबंध, पहचान एवं पते के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य है। जाति प्रमाण पत्र/जन्म–प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/मनरेगा जॉब कार्ड/बीपीएल कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/बिजली–पानी–टेलीफ़ोन बिल की कॉपी/एलपीजी कनेक्शन की डायरी/एलआईसी पॉलिसी/पे–स्लिप/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पते हेतु प्रमाण का शपथ पत्र।

4.3 संशोधन / अद्यतन

जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन / अद्यतन ई–मित्र या एस.एस.ओ. के माध्यम से करवाया जा सकता है। जन आधार नामांकित सदस्य द्वारा राज एस.एस.ओ. पर जाकर स्वयं की एस.एस.ओ. प्रोफाइल में जन आधार अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन पर जाकर अद्यतन किया जा सकता है। संशोधन / अद्यतन परिवार के मुखिया / वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जाता है। निवासी चाहे तो अद्यतन जन आधार ई–कार्ड ई–मित्र / ई–मित्र प्लस / एस.एस.ओ. पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।

जन आधार संशोधन / अद्यतन की निम्नलिखित प्रकिया : ई–मित्र पर जाकर जन आधार नामांकन में दर्ज मोबाइल नम्बर पर OTP या आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से नामांकन में दर्ज सूचना में संशोधन / अद्यतन या नवीन सूचना अंकित कर सकता है।

एस.एस.ओ. के माध्यम से जन आधार संख्या को एस.एस.ओ. की प्रोफाइल में अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन में जाकर संशोधन किया जा सकता है।

जन आधार नामांकन में निम्नलिखित संशोधन एवं अद्यतन किये जा सकते हैं:–

1. SPLIT : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में SPLIT की सुविधा प्रदान की गई हैं। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर किसी भी सदस्य द्वारा नवीन नामांकन किये जाने के स्थान पर उक्त जन आधार नामांकन में से विभाजित किया जा सकता है। यदि उक्त सदस्य विभाजन उपरांत व्युत्पन्न जन आधार नामांकन में HoF की पात्रता रखता है तो ही SPLIT की प्रक्रिया संभव है। उल्लेखनीय है कि पात्रता पूर्ण होने के उपरांत एक जन आधार में से एक या एक से अधिक जन आधार SPLIT किया जा सकते हैं।
2. MERGE : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में MERGE की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर उक्त नामांकनों को एक जन आधार नामांकन में MERGE किया जा सकता है।
3. HoF Transfer : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में HoF Transfer की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर HoF का स्थानान्तरण कर किसी अन्य जन आधार नामांकन या नवीन नामांकन में सदस्य या मुखिया के रूप में जोड़ा जा सकता है।

यदि मुखिया या किसी भी सदस्य के नाम, जन्म की तारीख, लिंग, श्रेणी या जाति में एक से अधिक बार संशोधन कराया जाता है, तो आवेदक द्वारा जिला कलेक्टर को अपील की जाती है। जिला कलेक्टर संशोधन से संबंधित समर्थित दस्तावेजों पर विचार करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर आवेदक को प्रदान करता है, तत्पश्चात् जिला कलेक्टर संशोधन हेतु की गई अपील को अनुमोदित या अस्वीकृत करता है।

4.4 परिवारों / व्यक्तियों का पंजीयन निरस्त करना

यदि कोई अपात्र परिवार / व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake Document) प्रस्तुत कर जन आधार पंजीयन करवा लिया है / कार्ड प्राप्त कर लिया है तो ऐसे जन आधार पंजीयन / कार्ड को स्थायी रूप से नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है।

यदि कोई अपात्र परिवार / व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake Document) पाया जाता है, तो उस जन आधार नामांकन एवं संख्या को निरस्त करने की अनुशंसा शहरी क्षेत्र में SDM द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में BDO द्वारा जिला कलेक्टर को की जाती है।

भीम
BhIM
भारत इंटरफेस फॉर मनी

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Rajasthan 75

राजस्थान जन-आधार योजना

मेरा अधिकार, मेरे हाथ

आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर

हमारी सरकार ने पिछले एक साल में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ सुशासन का वादा पूरा किया है। प्रदेश के करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा उन तक पहुंचाने के लिए हम राज्य में 'राजस्थान जन आधार योजना' की शुरुआत कर रहे हैं।

आपका यह जन आधार कार्ड 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की अवधारणा को साकार कर रहा है। इससे आपको मिलने वाले सभी सरकारी लाभ सरल, सुगम व पारदर्शी तरीके से समय पर आप तक पहुंचेंगे। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश का एक भी ग़रीब व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

"जन सुविधाओं का नया आधार"

जन-आधार

एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान

राजस्थान
जन-आधार योजना

1. प्रस्तावना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019–20 की बजट घोषणा (अनुच्छेद संख्या–141) की अनुपालना में लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुँचाने के दृष्टिगत "राजस्थान जन–आधार योजना– 2019" का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसके तहत सभी विभागों की योजनाओं के लाभ एवं सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी।

2. उद्देश्य

- राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार करना।
- नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से तथा गैर–नकद लाभ आधार/जन–आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय।
- राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।
- ई–मित्र तंत्र का विनियमन द्वारा नियंत्रण व प्रभावी संचालन करना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

3. जन–आधार पंजीयन व जन–आधार कार्ड

- राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन–आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
- प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन–आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा।
- विभिन्न प्रकार के परिवार कार्डों (यथा राशन कार्ड, आयुष्मान

कार्ड इत्यादि) के स्थान पर एक बहुउद्देश्यीय जन–आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

पूर्व पंजीकृत परिवारों के लिए : स्टेट रेज़िडेन्ट डेटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन–आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जन–आधार पहचान संख्या को मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा।

नवीन पंजीकरण वाले परिवारों के लिए : जन–आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी जन–आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नज़दीकी ई–मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेगा। सूचनाओं के सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन–आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी।

जन–आधार कार्ड वितरण : परिवार को जन–आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति/ई–मित्र द्वारा वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार को जन–आधार ई–कार्ड, जन–आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी।

संशोधन/अद्यतनः जन–आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र पर करवाया जा सकेगा।

4. जन कल्याणकारी योजनाओं हेतु लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण का माध्यम

- सभी विभागों द्वारा जन–आधार डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से ही परिवार की पात्रता निर्धारित कर सेवाएं/लाभ हस्तांतरित किए जाएंगे।
- यदि किसी परिवार को अपनी पात्रता/दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित होगा तो जन–आधार डेटा रिपोजिटरी में ही परिवर्तन करवाना होगा। विभागीय योजनाओं में पृथक से अद्यतन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5. पारदर्शिता एवं सामाजिक अंकेक्षण

- परिवार को समय–समय पर प्रदान किए गए नकद व गैर–नकद लाभों के प्रत्येक लेन–देन की जानकारी जन–आधार पंजीयन में दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित की जाएगी।
- साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सभा में तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड समिति के समक्ष समय–समय पर जन–सूचना पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित लाभों का ब्यौरा सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करवाया जाएगा।

6. प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य स्तर पर – राजस्थान जन–आधार योजना का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग होगा तथा निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग बजट नियंत्रण एवं प्रभारी अधिकारी होंगे तथा योजना क्रियान्वयन एजेन्सी राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर होगी।

ज़िला स्तर पर

ज़िला कलक्टर	ज़िला जन–आधार योजना अधिकारी
उप निदेशक (एसीपी), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	अतिरिक्त ज़िला जन–आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)
उप/सहायक निदेशक, ज़िला आर्थिक एवं सांख्यिकी	अतिरिक्त ज़िला जन–आधार योजना अधिकारी

ब्लॉक स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड जन–आधार योजना अधिकारी
विकास अधिकारी/ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त ब्लॉक जन–आधार योजना अधिकारी
प्रोग्रामर	अतिरिक्त ब्लॉक जन–आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

7. राजस्थान जन – आधार प्राधिकरण का गठन

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक स्वतंत्र प्राधिकरण, 'राजस्थान जन – आधार प्राधिकरण' का गठन किया जावेगा।

"जन सुविधाओं का नया आधार"
जन-आधार

एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी- स्कीम, जयपुर

टोल फ्री नम्बर : 1800 180 6127

वेबसाईट : janaadhaar.rajasthan.gov.in